

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार,
उप श्रमायुक्त (मुख्यालय)।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:— नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 : मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश घोषित करने के संबंध में।

प्रसंग:— राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना का पत्रांक-2384, दिनांक-02.06.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपयुक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 सम्पन्न कराये जाने हेतु दिनांक-28.06.2025 को मतदान कराया जाना निर्धारित है।

उल्लेखनीय है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 471 में मतदान के दिन सवेतन अवकाश घोषित किये जाने का प्रावधान किये गये हैं। उक्त धारा का अवतरण निम्नवत् है :-

“471-मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने की मंजूरी—(1) किसी कारोबार, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित और राज्य की नगरपालिकाओं के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश प्रदान किया जायेगा।

(2) उप-धारा-(1) के अनुसार प्रदान किये गये अवकाश के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी में कोई भी कमी या कटौती नहीं की जायेगी और यदि वह व्यक्ति इस आधार पर नियोजित है कि वह ऐसे दिन के लिए मजदूरी साधारणतया प्राप्त नहीं करेगा, फिर भी उसे ऐसे दिन के लिए मजदूरी का भुगतान उसी प्रकार से किया जायेगा, जिस प्रकार से वह अवकाश प्रदान नहीं किये जाने पर प्राप्त करता।

(3) यदि कोई नियोक्ता उपधारा-(1) या उपधारा-(2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, तो ऐसा नियोक्ता, पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(4) यह धारा उस किसी ऐसे निर्वाचन पर लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति उस नियोजन की बाबत खतरा या सारभूत हानि पहुँचा सकती हो, जिसमें वह कार्यरत हो।”

उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा मतदान के दिन संबंधित नगरपालिका के निर्वाचन क्षेत्र में सवैतनिक अवकाश घोषित करना आवश्यक समझा गया है, जिससे कि राज्य के संबंधित नगरपालिका के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अपना मत देने हेतु अवकाश प्रदान किया जा सके।

नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 के अन्तर्गत निर्धारित मतदान की तिथि दिनांक-28.06.2025 (शनिवार) को निर्धारित है। उक्त निर्धारित मतदान की तिथि को संबंधित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/कारखानों में नियोजित कर्मियों/पदाधिकारियों को अपने मताधिकार के प्रयोग का अवसर देने हेतु सूचना का प्रकाशन बिहार में प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से कराया जाना है।

अतः अनुरोध है कि बिहार में प्रकाशित होने वाले हिन्दी, उर्दू एवं अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्रों में उक्त सूचना निर्वाचन तिथि के एक दिन पूर्व निश्चित रूप से प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनु०-सॉफ्ट कॉपी एवं सूचना की प्रति।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(राजेश कुमार)

उप श्रमायुक्त (मुख्यालय)।

ज्ञापांक :-1/एफ1-127/06 (खण्ड) श्र०सं०.....

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- सरकार के संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त सूचना के प्रकाशन हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करवाने की कृपा की जाय।

ह०/-

उप श्रमायुक्त (मुख्यालय)।

ज्ञापांक :-1/एफ1-127/06 (खण्ड) श्र०सं०.....

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-श्रम अधीक्षक, निर्माण श्रमिक-सह-नोडल पदाधिकारी, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पटना/अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त सूचना के प्रकाशन हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करवाने की कृपा की जाय।

ह०/-

उप श्रमायुक्त (मुख्यालय)।

ज्ञापांक :-1/एफ1-127/06 (खण्ड) श्र०सं०.....3502

पटना, दिनांक- 18/06/25

प्रतिलिपि:- आई०टी०, मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित।

18-06-2025
उप श्रमायुक्त (मुख्यालय)।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आवश्यक सूचना

नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 के अंतर्गत निम्नांकित रिक्त पदों पर मतदान कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित है।

क्र० सं०	जिला का नाम	क्रमांक	नगरपालिका का नाम	वार्ड संख्या	पद नाम
1	अररिया	1	नगर परिषद, फारबिसगंज	15	वार्ड पार्षद
2	अरवल	2	नगर पंचायत कुर्था	8	वार्ड पार्षद
3	बांका	3	नगर परिषद, बांका	1 से 26 तक	मुख्य पार्षद
4	बेगूसराय	4	नगर निगम, बेगूसराय	10	वार्ड पार्षद
		5	नगर परिषद, बखरी	5	वार्ड पार्षद
5	भागलपुर	6	नगर निगम, भागलपुर	10	वार्ड पार्षद
		7	नगर निगम, आरा	34	वार्ड पार्षद
6	भोजपुर	8	नगर पंचायत, शाहपुर	7	वार्ड पार्षद
		9	नगर पंचायत, शाहपुर	8	वार्ड पार्षद
		10	नगर पंचायत, पिरो	20	वार्ड पार्षद
7	बक्सर	11	नगर परिषद, बक्सर	1 से 42 तक	उप मुख्य पार्षद
		12	नगर परिषद, बक्सर	20	वार्ड पार्षद
8	गया	13	नगर परिषद, बोधगया	1 से 33 तक	उप मुख्य पार्षद
		14	नगर पंचायत, खिजरसराय	1 से 13 तक	मुख्य पार्षद
		15	नगर परिषद, टेकारी	20	वार्ड पार्षद
9	गोपालगंज	16	नगर पंचायत, हथुआ	12	वार्ड पार्षद
10	जहानाबाद	17	नगर पंचायत, मखदुमपुर	1	वार्ड पार्षद
11	कैमूर	18	नगर पंचायत, कुदरा	8	वार्ड पार्षद
		19	नगर पंचायत, मोहनियाँ	15	वार्ड पार्षद
		20	नगर पंचायत, बारसोई	6	वार्ड पार्षद
12	कटिहार	21	नगर पंचायत, बारसोई	8	वार्ड पार्षद
		22	नगर निगम, कटिहार	41	वार्ड पार्षद
13	खगड़िया	23	नगर परिषद, खगड़िया	29	वार्ड पार्षद
14	लखीसराय	24	नगर परिषद, बड़हिया	18	वार्ड पार्षद
		25	नगर परिषद, सुर्यगढ़ा	13	वार्ड पार्षद
		26	नगर परिषद, लखीसराय	7	वार्ड पार्षद
15	मधुबनी	27	नगर पंचायत, बेनीपट्टी	2	वार्ड पार्षद
		28	नगर परिषद, झंझारपुर	5	वार्ड पार्षद
		29	नगर निगम, मधुबनी	34	वार्ड पार्षद
16	मुंगेर	30	नगर निगम, मुंगेर	21	वार्ड पार्षद
		31	नगर परिषद, हवेली खड़गपुर	12	वार्ड पार्षद
17	मुजफ्फरपुर	32	नगर परिषद, साहेबगंज	24	वार्ड पार्षद
18	नालन्दा	33	नगर पंचायत, अस्थायी	3	वार्ड पार्षद
		34	नगर परिषद, हिलसा	9	वार्ड पार्षद
19	पश्चिम चम्पारण	35	नगर निगम, बेतिया	14	वार्ड पार्षद
20	पूर्व चम्पारण	36	नगर पंचायत, जानकीनगर	7	वार्ड पार्षद
		37	नगर पंचायत, रूपौली	2	वार्ड पार्षद
21	पूर्वी चम्पारण	38	नगर निगम, मोतिहारी	6	वार्ड पार्षद
22	सहरसा	39	नगर परिषद, सिमरी बख्तियारपुर	10	वार्ड पार्षद
		40	नगर पंचायत, सोनवर्षा	8	वार्ड पार्षद
		41	नगर निगम, सहरसा	19	वार्ड पार्षद

क्र० सं०	जिला का नाम	क्रमांक	नगरपालिका का नाम	वार्ड संख्या	पद नाम
23	समस्तीपुर	42	नगर परिषद, रोसड़ा	7	वार्ड पार्षद
		43	नगर निगम, समस्तीपुर	15	वार्ड पार्षद
		44	नगर निगम, समस्तीपुर	29	वार्ड पार्षद
		45	नगर निगम, समस्तीपुर	43	वार्ड पार्षद
24	सारण	46	नगर पंचायत, एकमा बाजार	1 से 19 तक	उप मुख्य पार्षद
25	सीतामढ़ी	47	नगर पंचायत, सुरसंड	11	वार्ड पार्षद
26	सिवान	48	नगर पंचायत, मैरवा	1 से 13 तक	मुख्य पार्षद
		49	नगर पंचायत, हसनपुरा	1	वार्ड पार्षद
27	सुपौल	50	नगर परिषद, त्रिवेणीगंज	11	वार्ड पार्षद
28	वैशाली	51	नगर परिषद, हाजीपुर	5	वार्ड पार्षद

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 471 में मतदान के दिन सवेतन अवकाश घोषित किये जाने का प्रावधान किये गये हैं, जिसका संगत अवतरण निम्नवत् है :-

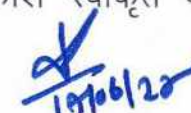
“471-मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने की मंजूरी-(1) किसी कारोबार, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित और राज्य की नगरपालिकाओं के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश प्रदान किया जायेगा।

(2) उप-धारा-(1) के अनुसार प्रदान किये गये अवकाश के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी में कोई भी कमी या कटौती नहीं की जायेगी और यदि वह व्यक्ति इस आधार पर नियोजित है कि वह ऐसे दिन के लिए मजदूरी साधारणतया प्राप्त नहीं करेगा, फिर भी उसे ऐसे दिन के लिए मजदूरी का भुगतान उसी प्रकार से किया जायेगा, जिस प्रकार से वह अवकाश प्रदान नहीं किये जाने पर प्राप्त करता।

(3) यदि कोई नियोक्ता उपधारा-(1) या उपधारा-(2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, तो ऐसा नियोक्ता, पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(4) यह धारा उस किसी ऐसे निर्वाचन पर लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति उस नियोजन की बाबत खतरा या सारभूत हानि पहुँचा सकती हो, जिसमें वह कार्यरत हो।”

अतः राज्य सरकार बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 471 के आलोक में यह निदेश देती है कि नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 के अन्तर्गत ऐसे सभी कर्मियों के लिए जो नगरपालिका निर्वाचन में मतदान करने के लिए योग्य हैं, संगत अधिनियमों के अधीन मतदान की तिथियों को सवेतनिक अवकाश स्वीकृत करें तथा अनिवार्य कार्यों के संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करें।


(दीपक आनन्द)
सचिव